न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – राकेश कुमार गुप्ता (R.A.S.)
राजस्व प्रकरण संख्या : – 39/2017

उनवान

1. रेखा पुत्री गणपतदास पत्नि रामप्रसाद वैष्णव निवासी बाघसूरी, नसीराबाद हाल निवासी ग्राम मोखमपुरा, विजयनगर, अजमेर।
2. रामकन्या पुत्री गणपतदास पत्नि कैलाश निवासी बाघसूरी, नसीराबाद हाल निवासी ग्राम पडांगा, बान्दनवाडा, अजमेर।

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्रीमति कौशल्या पत्नी पुखराज,
2. मुकेश पुत्र पुखराज
3. काना पुत्र पुखराज
4. दुर्गा पुत्री गणपतदास
5. ओमप्रकाश पि गणपतदास निवासी बाघसूरी, नसीराबाद
6. मनीष पुत्र किशनलाल निवासी बूबानिया, नसीराबाद
7. अनुपमा देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार
9. उप पंजीयन अधिकारी नसीराबाद कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद जि. अजमेर

—— प्रतिवादीगण :– 4 जरियें अधिवक्ता श्री आशीष अजमेरा
7 जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड
8 व 9 जरियें राज0 पैरोकार
शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राज. काश्त. अधि. 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 8.1.21

वादीगण ने जरियें अधिवक्ता उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 बाघसुरी के खाता संख्या 381/362 हाल खसरा नम्बर 1704/0.11, 1729/0.16, 1971/0.41, 1972/0.07, 1980/0.10, 1981/0.04, 1982/0.03, 1983/0.11, 1984/0.22, 1986/0.19 किता 10 रकबा [illegible] प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत विभाजन नही [illegible] किन्तु आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में वादीगण व प्रतिवाद[illegible] है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दख[illegible] हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन कर प्र[illegible]वादीगण को जरियें स्था[illegible]ाज्ञा पांवद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रकरण में जवाब पेश नही कर सहमती जाहिर की। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

वाद विचारण के दौरान अधिवक्ता वाद ने प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण के पक्षकार ओमप्रकाश द्वारा अनुपमा देवी को भूमि का हस्तांतरण वाद विचारण के दौरान कर दिया है। अतः प्रकरण में अनुपमा देवी को प्रतिवादी संख्या 7 मुर्तिब किया। प्रतिवादी संख्या 7 ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वाद में साक्ष्य पेश नही करना चाहते है तथा प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी पुखराज, ओमप्रकाश पि0 गणपतदास रामकन्या, दुर्गा, रेखा पि0 गणपतदास के नाम दर्ज थी। पुखराज के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। जिनका उक्त आराजी पर राजस्व अभिलेख अनुसार 1/5 हिस्सा निहित है। वादी संख्या 1 का 1/5 व वादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा दुर्गा का 1/5 हिस्सा व अनुपमा का 1/5 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 7 का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 4 व 7 ने प्रकरण में अपनी सहमती प्रकट की है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से पक्षकारान के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वाद के तथ्यों का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नही है।

अतः वादीगण का वाद ''स्वीकार'' किया जाता है। ग्राम व प0म0 बाघसुरी के खाता संख्या 381/362 हाल खसरा नम्बर 1704/0.11, 1729/0.16, 1971/0.41, 1972/0.07, 1980/0.10, 1981/0.04, 1982/0.03, 1983/0.11, 1984/ 0.22, 1986/0.19 किता 10 रकबा 1.44 की आराजियात पर वादीगण का वाद ''स्वीकार'' किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर जमाबंदी में दर्ज समस्त सह खातेदारों की विधिवत उपस्थिति में बाई मीटंस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:15 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रेखा बनाम कौशल्या

दावा बाबत :– 88, 188, 53 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 39/2017
पेश करने की दिनांक – 14.03.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई आशीष अजमेरा व नरेन्द्र सिंह राठौड व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम व प0म0 बाघसुरी के खाता संख्या 381/362 हाल खसरा नम्बर 1704/0.11, 1729/0.16, 1971/0.41, 1972/0.07, 1980/0.10, 1981/0.04, 1982/0.03, 1983/0.11, 1984/0.22, 1986/ 0.19 किता 10 रकबा 1.44 की आराजियात पर वादीगण का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर जमाबंदी में दर्ज समस्त सह खातेदारों की विधिवत उपस्थिति में बाई मीटंस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करें।

बअरवत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 1 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रेखा बनाम कौशल्या

दावा बाबत :– 53, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 39/2017
पेश करने की दिनांक – 14.03.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम **बाघुसरी** के हाल खसरा नम्बर 1704/2, 1729/2, 1971/2, 1972/2, 1980/2, 1981, 1982, 1983/2, 1984/2, 1986/2 रकबा कमशः 0.04, 0.06, 0.16, 0.026, 0.04, 0.04, 0.03, 0.04, 0.08, 0.06 का खातेदार वादी रेखा व रामकन्या को घोषित किया जाता है। हाल खसरा नम्बर 1704/1, 1729/1, 1971/1, 1972/1, 1980/1, 1983/1, 1984/1, 1986/1 रकबा कमशः 0.07, 0.10, 0.25, 0.044, 0.06, 0.07, 0.14 व 0.13 का खातेदार जमाबंदी में दर्ज अन्य सभी सहखातेदार अनुपमा, कमलेश, कौशल्या, दुर्गा, पिंकी, मुकेश, मधु, राकेश, शंकुतला, हेमलता को घोषित किया जाता है। अन्य सहखातेदारों का हिस्सा विधिवत दर्ज किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 8 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:19:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद